उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 86/2015/2063/30-3-2015-83जीई/2012
लखनऊ, दिनॉक 20 अक्टूबर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय-आदेश संख्या-627/2015-टी-371ई/जीपीटी/14, दिनॉक 18-03-2014 द्वारा यात्री/मालकर अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में संक्षिप्त संशोधन करते हुए श्री राकेन्द्र कुमार को ज्येष्ठता क्रमांक-57 पर तथा श्री विश्वजीत प्रताप सिंह को ज्येष्ठता क्रमांक-58 पर स्थापित किया गया है।

यात्री/मालकर अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप परिवहन अनुभाग-3 के कार्यालय-आदेश संख्या-1482/30-3-14-73जीडब्लू/90, दिनॉक 05-06-2014 द्वारा जारी की गयी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) सवंर्ग की ज्येष्ठता सूची में संक्षिप्त संशोधन करते हुए कार्यालय-आदेश/संशोधन संख्या-1292/30-3-15-73जीडब्लू/90, दिनॉक 26-06-2015 द्वारा श्री राकेन्द्र कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) को ज्येष्ठता क्रमांक-188 पर तथा श्री विश्वजीत प्रताप सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) को ज्येष्ठता क्रमांक-190 पर स्थापित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि परिवहन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-1659/30-3-14-83जीई/2012, दिनॉक 23-06-2014 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) (वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/-) के 17 अधिकारियों की पदोन्नति सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) (वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/-) के पद पर की गयी है। उक्त विज्ञप्ति/नियुक्ति दिनॉक 23-06-2014 में क्रमांक-8 पर ज्येष्ठता क्रमांक-188- श्री विश्वजीत प्रताप सिंह व क्रमांक-10 पर ज्येष्ठता क्रमांक-190- श्री राकेन्द्र कुमार का उल्लेख है।

3- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) की ज्येष्ठता परिवहन अनुभाग-3 के उक्त कार्यालय-आदेश/संशोधन दिनॉक 26-06-2015 द्वारा किए गए गए संक्षिप्त संशोधन के दृष्टिगत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के पद से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नति करने के सम्बन्ध में परिवहन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति/नियुक्ति दिनॉक 23-06-2014 में संक्षिप्त संशोधन करते हुए श्री राकेन्द्र कुमार को क्रमांक-8 पर स्थापित करते हुए उनका ज्येष्ठता क्रमांक-188 पर एवं श्री विश्वजीत प्रताप सिंह को क्रमांक-10 पर स्थापित करते हुए उनका ज्येष्ठता क्रमांक-190 अंकित किया जाता है।

4- तदनुसार परिवहन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-1659/30-3-2014-83जीई/2012, दिनॉक 23-06-2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए, शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव।

संख्या-86/2015/2063(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

4- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- सम्बनिधत कोषाधिकारी।

6- समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त।

7- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा परिवहन आयुक्त।

8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को इस अनुरोध के साथ प्रेशर कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की 25 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।